

२४-२२२ वकील वादी द्वारा नोटिस करने
बाबत प्रार्थना-पत्र पेश करने पर
पत्रावली आज तलब की गयी चूंकि
मूलकाद को नोटिस में खारिज
किया जा चुका है अतः उक्त प्रार्थना-
पत्र सारहीन होने से खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फंसल शुमार होकर



मम्बक से कस लौ


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अदमेर)